न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कशेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या —150/2015 (अपील)

1. राधेश्याम आत्मज श्री भेरू जाति तेली निवासी ग्राम मोडक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. मंगलम सीमेन्ट लि0 आदित्य नगर मोडक, तहसील रामगंजमण्डी जरिये मैनेजर एवं अधिकृत अधिकारी आदित्य नगर मोडक, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अण्डर सेक्शन 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामातकरण संख्या 439 तहसीलदार रामगंजमण्डी दिनांक 31.10.2012

उस्थिति

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक— 26.02.2020

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा नामा0 सं0 439 ग्राम मोडक में दिनांक 31.10.2012 को आदेश पारित किया कि—" नामा0 पेश हुआ रिपोर्ट पटवारी पटवारी व जांच आई.एल.आर के आधार पर व अधिसूचना दिनांक 2.6.80, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (भू.आ.अ.) कोटा के आदेश कमांक/केश/2012/202 दिनांक 3.10.2012 , श्रीमान तहसीलदार सा0 रामगंजमण्डी के आदेश कमांक/भू.अ./2012/3226 दिनांक 5.10.2012 की पालना में ख.नं 1776/0.40, 1766/0.42, 1774/2.43, 1769/1.62, 1765/0.52 1770/1.13 मंगलम सीमेंट लि0 मोडक (माइनिंग कार्य हेतु) दर्ज करना स्वीकार है, रिकार्ड में अमल हो ।" बाबत आदेश पारित किया ।

3. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 08.05.2015 को लिमिटेशन एक्त की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना कब्जा व मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही आदेश जैर अपील प्रदान किया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 2.6.1980 की पालना में दिनांक 31.10.2012 को नामान्तकरण खोला है जबकि उक्त आदेश की पालना रेस्पो0 द्वारा नहीं की गई ना ही अपीलान्ट को व पूर्व खतेदार को कोई मुआवजा ही दिया गया है । रेस्पो0 द्वारा गुप चुप तरीके से सन 80 के आदेश की पालना

Scanned by CamScanner

में 30 साल बाद नामान्तकरण तस्दीक करवाया है जो किसी प्रकार से नहीं खोला जा सकता है । विवादित आराजी पर काश्तकारी होती है तथा सं0 2067–2070 की जमाबंदी में खातेदारान का नाम अंकित है बिना कब्जे के संबंध में तथा जिस आदेश की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उक्त आदेश की रेस्पो0 के द्वारा पालना की गई या नहीं की गई जांच किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है । विवादित आराजी पर किसी प्रकार से रेस्पो0 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ना ही उनका कब्जा है इसके उपरान्त भी आदेश जैर अपील प्रदान किया गया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । आदेश जैर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही खोला गया है अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 29.7.2015 को अपीलान्ट के कब्जे में जबरन रेस्पो0 के प्रतिनिधियों के द्वारा दखलन्दाजी करने पर तथा उक्त आराजी रेस्पो0 के नाम खाते में दर्ज होने की बात कहने पर हुई उक्त प्रकार जानकारी होने पर दिनांक 30.7.2015 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 4.8.2015 को नकल मिली, नकल प्राप्त करके अपीलांट अपील खर्चे का इन्तेजाम करने गांव गया तो बीमार हो गया तथा टाईफाईड हो गया जिसका उसने देशी इलाज करवाया, अपीलान्ट की तबीयत में सुधार होने पर वह दिनांक 4.9.2015 को वकील साहब से मिला तथा अपील तैयार करवाकर यह अपील पेश कर रहा है जो सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 29.7.2015 से नकल प्राप्ति के दिन तथा बीमारी के दिन 4.9.2015 तक के दिन मुजरा करने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावें तथा रेस्पो0 के पक्ष में तस्दीक किया गया नामान्तकरण निरस्त किया जावें ।

4. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

5. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 2.6.1980 की पालना में दिनांक 31.10.2012 को नामान्तकरण खोला है जबकि उक्त आदेश की पालना रेस्पो0 द्वारा नहीं की गई ना ही अपीलान्ट को व पूर्व खतेदार को कोई मुआवजा ही दिया गया है । रेस्पो0 द्वारा गुप चुप तरीके से सन 80 के आदेश की पालना में 30 साल बाद नामान्तकरण तस्दीक करवाया है जो किसी प्रकार से नहीं खोला जा सकता है । विवादित आराजी पर काश्तकारी होती है तथा सं0 2067–2070 की जमाबंदी में खातेदारान का नाम अंकित है बिना कब्जे के संबंध में तथा जिस आदेश की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उक्त आदेश की रेस्पो0 के द्वारा पालना की गई या नहीं की गई जांच किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है । विवादित आराजी पर किसी प्रकार से रेस्पो0 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ना ही उनका कब्जा है इसके उपरान्त भी आदेश जैर अपील प्रदान किया गया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है ।

Scanned by CamScanner

6. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार भूमि अवाप्ति के कार्यवाही की गई है । सरकार के निर्देशों के कम में ही तहसीलदार नायब तहसीलदार चेचट द्वारा मंगलम सीमेंट लि0 मोडक के माईनिंग कार्य हेतु दर्ज कर स्वीकार किया गया है, इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है । मंगलम सीमेंट द्वारा अपीलांट को नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया गया है । रेस्पो0 अवाप्त भूमि ख.नं 1776/0.40, 1766/0.42, 1774/2.43, 1769/1.62, 1765/0.52 1770/1.13 पर खनिज कार्य हेतु मंगलम सीमेंट लि0 मोड़क के नाम दर्ज की गई है, जैर अपील नामा0 में कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

7. हमने अपीलांट की बहस सुनी,व बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । यह अपील नायब तहसीलदार चेचट के नामा0 सं0 439 आदेश दिनांक 31.10.2012 के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 8.9.2015 को पेश की गई है । उक्त अपील विलम्ब से पेश की गई है किन्तु विलम्ब के लिए बताए गये कारण जानकारी का अभाव व बिमारी के कारण विलम्ब होना बताया गया , न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को मुजरा करते हुए अपील अवधि मध्य मानी जाती है।

8. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 2.6.1980 के अनुसरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी परियोजना कोटा द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश की अनुपालना में नायब तहसीलदार चेचट द्वारा जेर अपील नामा0 सं0 439 आदेश दिनांक 31.10.2012 स्वीकृत किया गया है, जिसमें उक्त भूमि ख.नं 1776/0.40, 1766/0.42, 1774/2.43, 1769/1.62, 1765/0.52 1770/1.13 हे. मंगलम सीमेंट लि0 मोडक के नाम माईनिंग कार्य हेतु दर्ज की गई है । चूंकि जमाबंदी में खनन कार्य का ही नोट लगा रहेगा जिसमें भूमि मूल खातेदार के नाम ही रहेगी , इसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है ।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के नामा0 सं0 439 दिनांक 31.10.2012 में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है तथा जैर अपील आदेश यथावत रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner